भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3609
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024/ 26 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

दलबदल के आधार पर निरर्हता

†3609. श्री बिष्णु पद राय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने “अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका) संशोधन विनियमन, 2018” के अनुसार और भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित “पंचायती राज संस्थाओं” के मामले में भी दलबदल के आधार पर निरर्हता के लिए नियम बनाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, जबकि छह वर्ष बीत चुके हैं; और
(घ) क्या अंडमान एवं निकोबार प्रशासन इन नियमों को अधिसूचित करने और लागू करने की योजना बना रहा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): अंदमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि अंदमान और निकोबार द्वीप समूह विनियम (पंचायत), 1994 और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह पंचायत विनियम (नगरपालिका), 1994 के साथ इसके-2018 के संशोधन विनियम और इसकी अनुसूची में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं, जिसमें इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले संघ राज्यक्षेत्र के चुनाव आयोग की राय प्राप्त करना शामिल है।

***